

**छत्तीसगढ़ शासन**  
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर

- अधिसूचना -

18 SEP 2013  
रायपुर, दिनांक ..... सितम्बर, 2013

कमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि : राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुकमांक 03, अनुकमांक 16, अनुकमांक 39 तथा अनुकमांक 87 (10) के अंतर्गत निम्नानुसार जातियों को सम्मिलित करता है :

क.	अ0पि0व0 की जाति सूची का अनुकमांक	पूर्व से सम्मिलित जाति	नवीन सम्मिलित जाति
1	03	बैरागी, वैष्णव	थनापति
2	16	भटियारा	हलवाई, गुरिया
3	39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुन्बी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, चंदनाहू, चन्नाहू, कुंभी, गवैल, गमैल, सिरवी	गबेल
4	87 (10)	मनिहार	चुड़िहार

ARO  
Anil  
20/9/13


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डॉ अनिल चौधरी)  
उप सचिव

पृ. क्रमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि  
प्रतिलिपि,

रायपुर, दिनांक ..... सितम्बर, 2013  
18 SEP 2013

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. शासन के समस्त विभाग
6. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
7. आयुक्त, जनसंपर्क, रायपुर
8. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर
9. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
10. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
11. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर
12. समस्त परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, छत्तीसगढ़
13. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़
14. उप संचालक, शास. मुद्रणालय, राजनौदगौव की ओर इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु
15. आदेश प्रति



उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास  
विभाग



**छत्तीसगढ़ शासन**  
**आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग**  
 मंत्रालय  
 महानदी भवन, नया रायपुर

- अधिसूचना -


18 SEP 2013  
 रायपुर, दिनांक ..... सितम्बर, 2013

कमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि : राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची में आगामी नवीन अनुकमांक 94 एवं 95 स्थापित करता है तथा कमांक 94 के तहत बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द जातियों को एवं कमांक 95 के तहत झोरा जाति को सम्मिलित करता है, विवरण निम्नानुसार है :

अनु. क.	जाति का नाम	जाति का परंपरागत व्यवसाय	कैफियत
94	बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द	कुँआ, तालाब, बावली खोदना, खेतों में गड़वा खोदना एवं मछली पकड़ना	जांजगीर-चौपा जिले के बलौदा विकास खण्ड के नगपुरा, झपेली, बरभाठा, इमली भाठा, रामपुर एवं शनिचरा ग्राम तथा मध्यप्रदेश राज्य से लगे हुए क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं।
95	झोरा	मिट्टी को धोकर सोना निकालना, कृषि, मजदूरी, मछली पकड़ना	मुख्य रूप से जशपुर जिले में निवास करते हैं। कुछ जनसंख्या रायगढ़ जिले में भी निवासरत है।

AFO  
 20/9/13


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
 तथा आदेशानुसार

  
 (डॉ अनिल चौधरी)  
 उप सचिव

पृ. क्रमांक एफ-19-22/25-2/2013/आजावि  
प्रतिलिपि,

रायपुर, दिनांक ..... सितम्बर, 2013  
18 SEP 2013

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. शासन के समस्त विभाग
6. समस्त विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
7. आयुक्त, जनसंपर्क, रायपुर
8. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर
9. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
10. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़
11. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर
12. समस्त परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, छत्तीसगढ़
13. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़
14. उप संचालक, शास. मुद्रणालय, राजनाँदगाँव की ओर इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु
15. आदेश प्रति

  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास  
विभाग